राजस्व अपील संख्या – 17/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/18

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या – 17/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/18

अपीलांटः–

बंशीलाल पुत्र श्री गिरधारीराम जाति पटेल निवासी ग्राम धुंधाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोन्डेन्टस –

1. सोनाराम पुत्र श्री गिरधारीराम जाति पटेल निवासी ग्राम धुंधाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार, लूणी

प्रफोर्मा पक्षकारः–

3. वेनाराम के कायम मुकामः–
   - 3/1 खिमाराम पुत्र श्री वेनाराम के कायम मुकामः–
     - 3/1/1 अशोक कुमार पुत्र खिमाराम
     - 3/1/2 भरत कुमार पुत्र खिमाराम
     - 3/1/3 श्रीमती भंवरी देवी पुत्री खिमाराम
     - 3/1/4 श्रीमती भावना पुत्री खिमाराम
     - 3/1/5 श्रीमती जमू देवी पत्नी खिमाराम
   - 3/2 गोकलराम पुत्र श्री वेनाराम
   - 3/3 तुलछाराम पुत्र श्री वेनाराम

   जातियान पटेल निवासी ग्राम धुंधाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
4. शिवाराम के कायम मुकामः–
   4/1 खिमाराम पुत्र शिवाराम जाति पटेल निवासी ग्राम धुंधाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामांतरकरण सं. 142 दिनांक 30.07.1976, जो तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित किया गया, को निरस्त करने हेतु।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 17/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/18

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिंह (अपीलांट की ओर से)

निर्णय

दिनांक– 28.10.2025

2. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत ग्राम धुंधाडा के नामांतरकरण सं. 142 पर तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.1976 को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 20.06.2023 को पेश की गई है।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भेजे नोटिस की रसीदे अपीलांट द्वारा पेश की गई तथा कंसाईन्मेंट ट्रेक रिपोर्ट भी पेश की गई जिसे पर्याप्त नोटिस तामिल होना माना जाता है। बावजूद नोटिस तामिल प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

4. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट व प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 3/1 से 3/3 व 4/1 की पैतृक भूमि ग्राम धुंधाडा के ख.नं. 182 रकबा 44–7 बीघा तथा खसरा सं. 219 रकबा 31–9 बीघा आई हुई है जिसमें अपीलांट व रेस्पोंडेंट 1 का 1/2 हिस्सा है। इसी प्रकार ग्राम धुंधाडा के खसरा नं. 181 रकबा 49–13 बीघा एवं खसरा नंबर 218 रकबा 24–5 बीघा भूमि में अपीलांट व प्रत्यर्थी 1 का 1/4 हिस्सा है परंतु प्रत्यर्थी 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिलावट करके पूरा हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया है। वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त भूमि अपीलांट व प्रत्यर्थी 1 के पिता गिरधारी, वेना पिता प्रभू तथा शिविया पुत्र शेरा के नाम रिकॉर्ड में दर्ज थी। लेकिन म्यूटेशन सं. 142 के जरिये तहसीलदार, जोधपुर के आदेश दिनांक 24.02.1975 से बंटवारा बताकर, गिरधारी के जीवनकाल में ही, गिरधारी का पूरा हिस्सा गलत तरीके से प्रत्यर्थी 1 सोनाराम पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज कर दिया। जबकि दिनांक 24.02.1975 को तहसीलदार, जोधपुर द्वारा कोई आदेश पारित ही नहीं किया गया है। खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा सहखातेदारान के बीच में धारा 53 के तहत किया जाता है। दिनांक 24.02.1975 को प्रत्यर्थी 1 सोनाराम रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज ही नहीं था। अतः दिनांक 24.02.1975 का तथाकथित आदेश मनमाना व विधि विरूद्ध है। सन् 2017 में अपीलांट व प्रत्यर्थी 1 ने राजस्व कैंप में बंटवारा करने का

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आवेदन किया था परंतु नामांतरकरण सं. 142 के जरिये केवल सोनाराम का नाम ही दर्ज होने के कारण, तकनीकी कारणों से अपीलांट का नाम दर्ज नहीं हो सका। दिनांक 12.07.2018 को जमाबंदी क़ी व म्यूटेशन की नकल लेने पर फर्जीवाडा की जानकारी हुई। गिरधारी के दो पुत्र अपीलांट व प्रत्यर्थी 1 सोनाराम है। अकेले सोनाराम के नाम, गिरधारी के जीवनकाल में पूरी आराजी दर्ज करना गैर कानूनी है। उक्त वादग्रस्त आराजी के अतिरिक्त ग्राम धुंधाडा की ही अन्य आराजी में गिरधारीराम की फौत होने पर नामांतरकरण सं. 568, 569, 870, 871, 872, 877, 878 में अपीलांट व प्रत्यर्थी 1 का नाम दर्ज किया गया है। म्यूटेशन सं. 142 जिस आदेश की पालना में भरा गया है, वह कभी जारी ही नहीं हुआ है। अतः नामांतरकरण सं. 142 शून्य है तथा अपास्त योग्य है तथा गलत नामांतरकरण सं. 142 के इंद्राजों के आधार पर प्रत्यर्थी 1 अपीलांट को बेदखल करने की धमकी दे रहा है। जबकि अपीलांट 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है। विवादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि है। अतः गिरधारी के हिस्से की भूमि पर प्रत्यर्थी 1 के साथ, अपीलांट को भी खातेदार दर्ज किया जावे।

अपीलांट को कानूनी जानकारी नहीं होने से व अनपढ ग्रामीण व्यक्ति होने से अन्य लोगों की सलाह पर सन् 2017 में राजस्व केंप में प्रार्थना पत्र पेश किया, जो खारिज किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी, लूणी के न्यायालय में राजस्व वाद पेश किया, जो इस आधार पर खारिज किया गया है कि नामांतरकरण सं. 142 तहसीलदार द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक 24.02.1975 की पालना में भरा है तथा जब तक उक्त आदेश दिनांक 24.02.1975 अपील में खारिज नहीं किया जाता है तब तक वाद में डिक्री जारी नही की जा सकती। इसके बाद कानूनी सलाह लेकर यह अपील पेश की जा रही है, जिसमें हुई देरी को क्षम्य किया जावे तथा नामांतरकरण सं. 142 दिनांक 30.07.1976 को खारिज किया जाकर अपीलांट का ख.नं. 182 व 219 में 1/2 हिस्सा तथा ख.नं. 181 व 218 की भूमि में 1/4 हिस्सा की खातेदारी दर्ज की जावे।

5. इस अपील में मुख्य अनुतोष प्रत्यर्थी 1 सोनाराम से मांगा गया है तथा शेष अन्य प्रत्यर्थीगण केवल प्रोफार्मा पक्षकार है, जिन पर नोटिस तामिल होने के बावजूद वे अनुपस्थित है। अतः अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस दिनांक 10.10.2025 को सुनी गई।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

6. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिंह ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट बाहर बंगलौर रहता है। दिनांक 24.02.1975 को ख.नं. 181, 182, 218 व 219 की भूमि में सहखातेदार, गिरधारीराम के जीवनकाल में ही जरिये बंटवारा उक्त खसरों में गिरधारी का पूरा हिस्सा केवल प्रत्यर्थी 1 सोनाराम के नाम दर्ज कर दिया है, जबकि अपीलांट सोनाराम का सगा भाई है। प्रत्यर्थी 1 सोनाराम ने दिनांक 24.05.2017 को उपखण्ड अधिकारी लूणी को प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलांट का नाम दर्ज करवाने में सहमति भी दे दी थी। उपखण्ड अधिकारी लूणी के कोर्ट में एक दावा धारा 88, 188 राज. टिनेंसी एक्ट का पेश किया था जो इस आधार पर खारिज किया गया है कि जब तक नामांतरकरण सं. 142 खारिज नहीं होता है तब तक वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती। अतः नामांतरकरण सं. 142 को अपास्त किया जावे। म्यूटेशन में जिस आदेश का हवाला दिया गया है, वह जारी ही नहीं हुआ है।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामांतरकरण सं. 142 का अध्ययन कर अवलोकन किया। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। विधि प्रावधानों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

8. अपीलांट ने अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों एवं प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है तथा अपील अंदर म्याद प्रस्तुत होना सुमार की जाती है तथा अपील का गुणावगुण आधार पर निस्तारण करना इस न्यायालय की राय में न्यायोचित है।

9. (a)ग्राम धुंधाडा के नामांतरकरण सं. 142 दिनांक 30.07.1976 के कॉलम सं. 5 से 7 तक में अंकित अनुसार, ख.नं. 219 व 182 की भूमि 75–16 बीघा गिरधारी, वेना पिता प्रभु के नाम खातेदारी में अंकित है। इसी प्रकार ख.नं. 218 व 181 की भूमि सिविया पिता सेरा 1/2, गिरधारी, वेना पुत्र प्रभु 1/2 दर्ज है। कॉलम सं. 14 में "माफिक आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब जोधपुर दिनांक 24.02.1975 के अनुसार बंटवाडे का नामांतरकरण भरा गया, जिसे तहसीलदार, जोधपुर ने दिनांक 30.07.1976 को स्वीकृत किया है तथा कॉलम सं. 11 में "वेना पुत्र प्रभु 1/2, सोना

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पुत्र गिरधारी 1/2– ख.नं. 219 व 182 के सामने अंकित किया है तथा ख.नं. 181 व 218 के समक्ष सिविया पुत्र सेरा 1/2, सोना पुत्र गिरधारी 1/4, वेना पुत्र प्रभु 1/4 दर्ज किया है। उक्त इंद्राजों से स्पष्ट है कि सहखातेदार गिरधारी का पूरा हिस्सा सोना पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज किया गया है, जो अपीलांट का सगा भाई है।

(b)उक्तानुसार सोनाराम के नाम इंद्राज जमाबंदी संवत् 2075–78 में भी दर्ज है। नये ग्राम संत लिखमाराम नगर (धुंधाडा) के ख.नं. 672, 672/1, 545, 662 से 665, 530 में बंशीलाल पुत्र गिरधारीराम, सोनाराम पुत्र गिरधारीराम तथा पार्वती पत्नी गिरधारीराम दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम धुंधाडा के 482, 501, 508 व 509 में सोनाराम, बंशीलाल पुत्र गिरधारीराम व पार्वती दर्ज है।

(c)न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा राजस्व वाद सं. 38/2018 में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2023 में निष्कर्ष दिया है कि प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। नामांतरकरण सं. 568, 569 व 870 से 873, 877 में वादी का नाम बंशीलाल के रूप में अंकित नहीं है। वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह गिरधारीराम का पुत्र है। नामांतरकरण सं. 142 तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित बंटवाडा आदेश दिनांक 24.02.1975 की पालना में दर्ज किया गया है, जिसको चुनौती नहीं दी है तथा तहसीलदार के बंटवारा आदेश को निरस्त करने का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। नामांतरकरण से प्रभावित सभी व्यक्तियों को वादी ने पक्षकार नहीं बनाया है। अतः वाद खारिज किया जाता है।

(d)राजस्व अभिलेखों में बस्ताराम के स्थान पर जरिये नामांतरकरण सं. 1736 दिनांक 15.07.2017 से नाम शुद्धिकरण करके बंशीलाल दर्ज किया गया है तथा वर्तमान उक्त विवरण के सभी खसरा नंबरान में बंशीलाल पुत्र गिरधारीराम दर्ज है तथा प्रत्यर्थी सोनाराम पुत्र गिरधारीराम व पार्वती पत्नी गिरधारीराम दर्ज है, जिससे साबित होता है कि अपीलांट गिरधारीराम का पुत्र है। इस बाबत किसी भी प्रकार उजर एतराज प्रत्यर्थीगण द्वारा नहीं किया गया है तथा उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा आक्षेपित एतराज पूर्ति कर दी गई है।

(e)सिर्फ ख.नं. 181, 182, 218 व 219 की भूमि में अपीलांट का एवं पार्वती पत्नी गिरधारीराम का नाम अंकित नहीं है क्योंकि गिरधारीराम के जीवनकाल में ही, गिरधारी की जगह सोनाराम पुत्र गिरधारी का नाम जरिये बंटवारा दिनांक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

24.02.1975 से नामांतरकरण सं. 142 से दर्ज किया गया है। ख.नं. 181, 182, 218 व 219 की भूमि पुश्तैनी संयुक्त मालिकाना हक की भूमि है, जिसमें पिता गिरधारी के साथ पुत्रों/पुत्रियों का भी जन्म से ही अधिकार है। अतः गिरधारीराम, अधिकतम अपने हिस्से तक ही, सोनाराम को भूमि दे सकता था तथा हिस्से से अधिक भूमि का हस्तांतरण करने का गिरधारीराम को कोई अधिकार ही नहीं था। विधि में बंटवारा के जरिये अधिकारों का हस्तांतरण नहीं होता है बल्कि पूर्व में ही विद्यमान हकों, अधिकारों का विभाजन मात्र होता है। अतः तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक 24.02.1975 विधि प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है तथा गिरधारीराम की मृत्यु के बाद, उक्त आराजी ख.नं. 181, 182, 218 व 219 में गिरधारीराम के समस्त विधिक वारिसान हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों अनुसार अपना हक, हिस्सा, अधिकार, स्वत्व प्राप्त करने के अधिकारी है। अतएव आदेश दिनांक 24.02.1975 की पालना में दर्ज अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 142 ग्राम धुंधाडा दिनांक 30.07.1976 भी अवैध होने से निरस्त योग्य है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

आदेश

10. परिणामस्वरूप उपरोक्तानुसार समग्र विवेचन व निष्कर्षानुसार तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.1975 अपास्त किया जाता है तथा उक्त आदेश की पालना में दर्ज ग्राम धुंधाडा का नामांतरकरण सं. 142 पर पारित आदेश दिनांक 30.07.1976 भी अपास्त किया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा समस्त पारिणामिक इंद्राजात निरस्त किये जाते है।

11. निर्णय की प्रति तहसीलदार, लूणी को भेजकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम धुंधाडा के ख.नं. 181, 182, 218 व 219 के तत्कालीन सहखातेदार गिरधारी पुत्र प्रभु जाति पटेल के कानूनी वारिसान की जांच की जावे तथा उन्हे सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार राजस्व अभिलेख में, संबंधित राजस्व ग्रामों में (अगर पुराना गांव धुंधाडा से नया राजस्व ग्राम में सृजित हुआ हो तो) जरिये नामांतरकरण खातेदार के रूप में दर्ज करे।

12. अपीलांट दिनांक 03.11.2025 को तहसीलदार, लूणी के समक्ष उपस्थित होकर अपना दस्तेन प्रस्तुत करे। तहसीलदार, लूणी यथासंभव नामांतरकरण की कार्यवाही आदेश प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर संपन्न करे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 17/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/18

13. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, लूणी को लौटाया जावे।
14. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।
15. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर